न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–169/2010/भीलवाड़ा (2010/00014)

1. कैलाश चंद पुत्र दुर्गालाल (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– कमला माता कैलाशचंद,
   1/2– मुन्नीदेवी पत्नि कैलाशचंद,
   1/3– दीपक पुत्र कैलाशचंद,
   1/4– नेहा,
   1/5– अभिषेक,
   1/6– सुजल,
   अपीलांट संख्या 1/4 से 1/6 पिसरान कैलाशचंद नाबालिगान जरिये सरंक्षक वली माता मुन्नी देवी बैवा कैलाशचंद, समस्त जाति गुर्जर, निवासी मोडका निम्बाहेड़ा, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नारायण पुत्र पूसाराम,
2. उदयलाल पुत्र पूसाराम,
3. श्रीमती छीतरबाई पत्नि पूसाराम,
4. भंवरलाल पुत्र पूसाराम,
5. काना पुत्र पूसाराम **(नाम तकी)**
6. गोपाल पुत्र पूसाराम,
7. रामकुंवारी पुत्री पूसाराम,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी शिवनगर, पुलिस लाईन के पास, भीलवाड़ा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 9.3.2010 अंतर्गत अपील संख्या 10/2009.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 12.4.2018

अपीलांट ने यह अपील जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 9.3.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने शेष रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 को प्रत्यर्थीगण नियुक्त कर नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26.9.2008 के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाड़ा स्थित आराजी नंबर 3173 रकबा 3.12 बीघा भूमि अपीलांट्स व प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति पूसाराम गुर्जर व अन्य के नाम दर्ज है जिसमें पूसाराम का 1/4 हिस्सा निहित है । वर्णित आराजी पुश्तैनी है । अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के परिवार का सजरा प्रस्तुत कर परिवार के सजरे के आधार पर पूसाराम के देहांत होने के बाद अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी है । विवादित आराजियात अपीलार्थीगण की पैतृक है, जो उनके पिता पूसाराम के नाम थी । पूसाराम के नाम अंकित 1/4 हिस्सा में से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा निहित है । इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है । किन्तु प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अकेले अपने नाम नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26.9.2008 को तस्दीक करा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जावे । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 9.3.2010 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26. 9.2008 ग्राम पांसल को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि स्व0 पूसाराम की कृषि भूमि के संबंध में विरासत की कार्यवाही करते समय पक्षकारान को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर अजसिरे नव निर्णय पारित किया जावे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील मय धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अपीलान्ट्स ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र

दिनांक 27.1.2009 के द्वारा प्रश्नगत नामांतकरण में लिप्त आराजी प्रार्थीगण को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को उक्त विक्रय की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थीगण को अपील में पक्षकार बनाये बिना अप्रार्थीगण ने मिलीभगती करके अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है । अपीलांट्स अधी0न्याया0 के समक्ष सद्भाविक क्रेता होने से आवश्यक पक्षकार थे । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 9.3.2010 से अपीलांट्स के हित प्रभावित होने तथा पीड़ित पक्षकार होने से अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9.3.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता परन्तु इसके बावजूद अपीलांट को बिना पक्षकार नियुक्त किये रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने अपीलाधीन निर्णय पारित कराया जाने के फलस्वरूप अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9.3.2010 की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 22.7.2010 को नामांतकरण में लिप्त आराजी से बेदखल करने व भूमि को अन्य को विक्रय करने की धमकी दी जाने पर हुई एवं तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कर, निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- प्रकरण के गुणावगुण पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26.9.2008 तहसीलदार, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 17.6.2008 की पालना में स्वीकार किया गया था । तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा निर्णय दिनांक 17.6.2008 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 की सहमति व वसीयतनामा के आधार पर पारित किया गया था । तहसीलदार, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 17.6.2008 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 ने कोई अपील या निगरानी प्रस्तुत नहीं की है जिससे तहसीलदार, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 17.6.2008 अंतिम हो चुका था । ऐसी स्थिति में तहसीलदार, भीलवाडा के निर्णय की पालना में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26.9.2008के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं थी क्योंकि तहसीलदार, भीलवाड़ा का मूल निर्णय दिनांक 17.6. 2008 आज भी यथावत् है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 श्रीमती छीतर देवी ने नामांतकरण संख्या 3615 में लिप्त अपने 1/4 हिस्से की आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.1.209 द्वारा अपीलांट्स को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया तथा उक्त विक्रय की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 व

2 को प्रारंभ से थी परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 जो कि माता, भाई व बहिन होकर एक ही परिवार के सदस्य है, ने आपस में मिली–भगत कर अपीलांट्स को अपील में पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष झूंठे तथ्य अंकित कर अपील प्रस्तुत की थी । अधी0न्याया0 ने धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र को मात्र इस आधार पर स्वीकार किया था कि विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने आगे कथन किया कि एक तरफ तो अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह माना है कि तहसीलदार, भीलवाड़ा ने विवादित नामांतकरण निर्णित करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई करने के उपरांत नामांतकरण निर्णित किया है तथा दूसरी तरफ अपने निर्णय द्वारा नामांतकरण संख्या 3615 को अपास्त करने के आदेश दिये है जो अपने आप में विरोधाभासी है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 से 7 को हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 में अंकित प्रावधानों के अनुसार स्व0 पूसाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस मानकर नामांतकरण को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है क्योंकि तहसीलदार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के तहत ही मृतक पूसाराम के सभी वारिसान की सुनवाई कर, रेस्पो0 की सहमति व वसीयतनामा व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 7 द्वारा अपना हक सहमति से रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में परित्याग करने के फलस्वरूप पारित किया था जो निर्णय अंतिम हो चुका है। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 9.3.2010 अपास्त किया जावे । xx

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 3 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.1.2009 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। इसलिये विवादित भूमि के संबंध में नामांतकरण संख्या 3615 को अपास्त करने से विवादित भूमि के अपीलांट्स सद्भाविक क्रेता होने एवं अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट्स के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रमाणित है । हम अपीलांट्स को न्यायहित मे सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9.3.2010 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9.3.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7- अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 में

पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक से होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने जानकारी का जो स्रोत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है वह उचित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, आधार अभिलेख का अवलोकन एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26.9.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में मृतक पूसाराम का 1/4 हिस्सा था तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 मृतक पूसाराम के विधिक वारिसान है । नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26.9.2008 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 17.6.2008 की पालना में तस्दीक किया गया है । नामांतकरण संख्या 3515 में यह नोट अंकित किया गया है कि " तहसील पत्रांक भू0अ0/08/3261 दिनांक 18.6.2008 के अनुसार मृतक पूसाराम के बजाय वारिस श्रीमती छीतर देवी का नाम दर्ज करने की स्वीकृति है । अन्य वारिसान को भी कोई आपत्ति नहीं होना आदेश से स्पष्ट है । " इस संबंध में तहसीलदार, भीलवाड़ा की पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, भीलवाड़ा की पत्रावली में उपलब्ध सहमति पत्र दिनांक 7.6.2008 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 भंवर, काना, गोपाल, उदा, नारायण पुत्रान स्व0 पूसालाल गुर्जर ने उक्त सहमति पत्र अपनी माता श्रीमती छीतरदेवी के पक्ष में निष्पादित किया है जिसमें यह अंकित किया है कि आराजी संख्या 3137 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के 1/4 हिस्से का नामांतकरण श्रीमती छीतरदेवी, जो सहमतिकर्ता की माता है, के नाम खोला जाता है तो इसमें प्रार्थीगण व हमारे भाईयों को कोई आपत्ति नहीं है । उक्त सहमति पत्र में यह भी अंकित है कि पूसालाल वल्द जीवण द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा श्रीमती छीतरदेवी के पक्ष में दिनांक 18.3.2004 को निष्पादित किया गया है जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है । इसी प्रकार तहसीलदार, भीलवाड़ा ने भी अपने आदेश दिनांक 17.6.2008 में उक्त सहमति पत्र एवं बयानों के आधार पर विवादित भूमि का नामांतकरण श्रीमती छीतरदेवी पत्नि पूसालाल के नाम पारित करने के आदेश पारित किये है तथा उक्त आदेश की पालना में ही पटवारी हल्का ने नामांतकरण संख्या 3615 भरकर पेश किया जिसे तहसीलदार, भीलवाड़ा ने दिनांक 26.9.2008 को स्वीकृत किया है ।

9- अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अपीलांटस ने विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 3 श्रीमती छीतरदेवी से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.1.2009 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । अपीलांटस विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता है किन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष नामांतकरण संख्या 3615 दिनांक 26.9.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में तथ्य छिपाकर अपील प्रस्तुत की है । अपीलांटस विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता होने

से अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 3615 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें सुना जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था परन्तु अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नियुक्त नही होने से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है ।

10- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 9.3.2010 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 169/2010 (2010/00098) बउनवानी कैलाशचन्द्र बनाम नारायण को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 10/2009 बउनवान नारायण बनाम छीतर बाई व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 9.3.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांटस जो कि विवादित भूमि के सद्भाविक केता है, को पक्षकार नियुक्त कर, पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 12.4.2018को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर